भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 243

दिनांक 03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

243. श्री राजन बाबूराव विचारे :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों को राष्ट्रीय पोषण मिशन(एनएनएम) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्यों द्वारा पर्ूा रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं और धनराशि के उपयोग में वृद्धि करने तथा इस मिशन को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी गए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : वर्ष 2018 में योजना के शुभारंभ के बाद से पोषण अभियान के तहत 31 मार्च, 2022 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5,40,295.40 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 3,57,277.66 लाख रुपये का उपयोग किया गया है।

(ख) और (ग) : पोषण अभियान के तहत निधि उपयोग की प्रगति के संबंध में राज्यों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त होती हैं। यदि कोई विलंब होता है तो उसकी समीक्षा बैठकों में राज्य सरकारों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है और निधि का उपयोग किया गया है। जन आंदोलन गतिविधियों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन संपर्क पोषण अभियान का एक प्रमुख मुद्दा है। कोविड महामारी के कारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ थे क्योंकि जन आंदोलन गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लागत मानदंडों के अनुसार पोषण अभियान के विभिन्न घटकों के तहत आवंटित निधियों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। पोषण अभियान के तहत किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी अप्रयुक्त निधि/अतिरिक्त व्यय को अगले वर्ष के आवंटन/जारी करने में समायोजित किया जाता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अभियान के विभिन्न घटकों के तहत लागत निर्धारित की गई है। स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे कि इन्फैंटोमीटर, स्टैडोमीटर, वेइंग स्केल आदि की खरीद, अभियान के तहत प्रमुख घटक हैं, जिसमें फंड का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में राज्यों द्वारा ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की खरीद के लिए संशोधित तकनीकी विनिर्देश देते हुए जनवरी 2023 में नए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों को कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए अभिनव उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उभरती हुई सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार किया जाता है। हर महीने 80% लक्षित विकास माप और 60% लक्षित घर का दौरा करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियो के लिए प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की गई है। इनकी निगरानी आईसीटी एप्लिकेशन, पोषण ट्रैकर के माध्यम से की जाती है, जो देश भर में प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं के डेटा को एकत्र करता है।

*****